न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 79/2021

वाद पत्र अं0 धारा :– 88 आर.टी.ए.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. मनीराम पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज(फोत)

1/1 बुधराम पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
1/2 कलवन्त पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
–वादीगण

बनाम्

1. कृष्ण पुत्र लिच्छीराम जाति
2. रामकुमार पुत्र लिच्छीराम
3. बालकुमार पुत्र लिच्छीराम
4. रणवीर पुत्र जगमाल
5. बद्री प्रसाद पुत्र जगमाल
6. आत्माराम पुत्र जगमाल
7. गोमती पत्नी जगमाल
8. लाली देवी पुत्री जगमाल

जाति जाट निवासी रतनपुरा तह0 संगरिया जिला हनु0

9. सवित्री पत्नी मेहरचन्द जाति जाट निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ
10. साहबराम पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ
11. भूरी पुत्री मेहरचन्द पत्नी लालचंद जाति जाट निवासी सोमासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
12. शारदा पुत्री मेहरचन्द पत्नी मदनलाल जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ
13. गुडडी पुत्री मेहरचन्द पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी रणजीतपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ
14. मन्जू पुत्री मेहरचन्द पत्नी विनोद कुमार जाति जाट निवासी नुईयांवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा
15. कमलेश पुत्री मेहरचन्द पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी नुईयावाली तहसील डबवाली जिला सिरसा
16. कैलाश पुत्री मेहरचन्द पत्नी कृष्ण चंद जाति जाट निवासी सोमासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
17. गुडडी पत्नी शीशपाल जाति जाट निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ
18. ईश्वर पुत्र शीशपाल जाति जाट निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ
19. सुभाष पुत्र शीशपाल जाति जाट निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ
20. सरोज पुत्री शीशपाल पत्नी पतराम जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
21. कृष्णा पुत्री शिशपाल पत्नी अमीलाल जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
22. समेस्ता पुत्री शिशपाल पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
23. मुखी पुत्री रूपराम पत्नी साहीराम जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

24. सन्तरो पुत्री रूपराम पत्नी साहबराम जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ
25. बलराम पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ
26. दुलीचन्द पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ
27. तहसीलदार राजस्व संगरिया
28. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ —प्रतिवादीगण

उपस्थित :—1. श्री राजेश बुडानिया —वकील वादीगण

2. श्री विवेक बुडानिया — वकील प्रति.स. 1 ता 8,10,18,19,25,26,29

निर्णय दिनांक :—26/07/2023

वादीगण मनीराम वगैरा ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा के तहत दिनांक 04/03/2021 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण का पंजीयन पता व्यवहार प्रक्रिया सहिंता के प्रावधानों के अनुसार वही है जो वादपत्र के शीर्षक में दर्शाया गया है। कि वादी व प्रतिवादीगण सं 1 ता 26 एक ही परिवार के सदस्य है। तथा मृतक रामकरण के जायज वारिसान है कि वादी एव प्रतिवादीगण 1 ता 26 रामकरण के वशज है जो किम हिन्दू परिवार के सदस्य है वादी व प्रतिवादीगण को कुछ तो भूमि मृतक रामकरण से विरासतन प्राप्त हूई है तथा कुछ भूमि बाद मे सयुक्त खरीद भी की गई है वादी एव प्रतिवादीगण के नाम से साझा खाता मे चक न 3 एम.जे.डी खाता स 17/42 ज.स 2072—75 मे खाता कृष्ण वगैरा मे व इसी चक के खाता स 15/57 खाता कृष्ण वगैरा मे व चक न 4 आर.टी.पी द्वितीय खाता स 82/97 ज.स 2073—2076 खाता बुधराम वगैरा मे व तहसील हनुमानगढ के चक न 11 एम.डी 2076—2079 मे खाता रूपराम वगैरा मे साझा खाता मे दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है उक्त खातो की ज.ब सलग्न वाद पत्र है। कि वाद पत्र की चरण स 3 मे वर्णित भूमि का वादीगण व पतिवादीगण स 1 ता 24 की विरासतन भूमि प्राप्त है जो मृतक रामकरण से विरासतन प्राप्त हूई है उक्त भूमि का घरू विभाजन मृतक रामकरण के वारिसान ने रामकरण के जीवनकाल से करीब 50 वर्षो पूर्व कर लिया था। उसी बंटवारा अनुसार वादीगण देव प्रतिवादीगण 1 ता 26 काबिज होकर काश्त कर रहे है। मुताबिक कब्जा बाबत कोई विवाद नहीं है। किन्तु खाता सांझा होने के कारण व मालकाना होने के कारण विवाद बना रहता है। मुताबिक घरू विभाजन वादी अपना कब्जाकाश्त अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। इसी अनुसार वादी चक न. 3 एम.जे.ड़ी के खाता स. 17/42 ज.स. 2072—2075 में 1.265है, व इसी चक के खाता स. 15/57 में 0.310हैं. व चक न. 4 आरटीपी खाता स.. 107/86 ज.स. 2072—2075 में 1.266है. व चक न. 3 आरटीपी द्वितीय खाता स. 82/97 ज. स. 2073—2076 में 1.935है. मे वादी को 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी स. 1 ता 3 को 1/3 हिस्सा ब.हि.ब. व प्रतिवादी स. 4 ता 8 को 1/3 हिस्सा ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त खातो से रूपराम पुत्र रामकरण का नाम कलमजन करवाना चाहता है। इसी प्रकार तहसील हनुमानगढ के चक न. 11 एम.डी खाता स. 70/60 ज.स. 2076—2079 मे 7.564 है0 में प्रतिवादी स. 23 ता 26 को 1/3 हिस्सा व स. 9 ता 16 को 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी स. 17 ता 22 को 1/6 हिस्सा ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाता से रूपराम, लिच्छीराम, मनीराम, जगमाल का नाम कलमजन करवाना चाहता है। वादी इसी अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी संगरिया

एवं दावेदार है। कि वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि वो वादी को वाद पत्र की चरण संख्या 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुसार खाता अलग से कायम करवा दो तो प्रतिवादीगण पहले तो टालमटोल करते रहें किन्तु बाद में वादी की बात मानने से स्पष्टतया इंकार हो गये बस यही वाद कारण है। कि प्रतिवादी संख्या 27 व 28 को लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया हैं इनके प्रति अनुतोष नही चाहा गया है। वादी व प्रतिवादीगण जो रकबा प्राप्त कर रहे है। वह किसी बैंक के पक्ष में रहन नही है। 8. यह कि वादग्रस्त आराजी तहसील संगरिया व हनुमानगढ दोनो तहसीलों में स्थित है। किन्तु अधिक भूमि तहसील संगरिया में स्थित होने के कारण माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया है। कि बाद वादी का खाता बाबत घोषणा का है जो काबिल समाहित वाला व अन्दर मियाद है तथा 2 रूपये के न्याय शुल्क पर पेश है। कि बाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि बाद तहकीकात वाद पत्र वादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जायें (क) कि चक 3. एम.जे.डी के खाता स 17/42 ज.स. 2072–2075 मे 1.265है. व इसी चक के खाता स. 15/57 में 0.310है व चक न. 4 आरटीपी खाता स 107/86 ज.स. 2072–2075 मे 1.266है, व चक न. 3 आरटीपी द्वितीय खाता स. 82/97 ज. स. 2073–2076 मे 1.935है. में वादी को 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी स. 1 ता 3 को 1/3 हिस्सा बहि.ब. व प्रतिवादी स. 4 ता 8 को 1/3 हिस्सा बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खातो से रूपराम पुत्र रामकरण का नाम कलमजन किया जावे। इसी प्रकार तहसील हनुमानगढ के चक.न. 11 एम.डी खाता स. 70/60 ज.स. 2076–2079 मे 7.564है में प्रतिवादी स. 23 ता 26 को 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी स. 9 ता 16 को 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी स. 17 ता 22 को 1/6 हिस्सा ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। उक्त खातो से रूपराम, 'लिच्छीराम, मनीराम ,जगमाल का नाम कलमजन किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन, रजीर्स्टड डाक तलब किया गया। प्रतिवादी स 11,12,16,17,20ता24,28 द्वारा हाजिर अदालत ना आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अम्ल में लाई गई। प्रार्थीगण बुधराम व कलवंत ने प्रार्थना पत्र अ.आ 22 नि 3 सी.पी.सी प्रस्तुत किया प्रार्थीगण के पिता वादी मनीराम की मृतयु होने के वाद पत्र मे बतौर पक्षकार वादीगण व प्रतिवादीगण सयोंजित किये जाने हेतु निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी स 11 व 16 ने पूर्व मे हाजिर आदालत नही आने के कारण जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अ.आ.9 नि 7 सी.पी.सी प्रस्तुत कर जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा गया अधिवक्ता वादी ने विरोध नही किया प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। प्रतिवादी स 10,18,19,25,26 ने पूर्व मे हाजिर आदालत नही आने के कारण जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अ. आ.9 नि 7 सी.पी.सी प्रस्तुत कर वाद पत्र मे अहम हित निहित होने के कारण जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा गया अधिवक्ता वादी ने विरोध नही किया प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी स 1 ता 8,10,18,19,25,26,29 ने जरिये अधिवक्ता सहमती का जवाब दावा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किये गये। प्रतिवादी स 27 तहसीलदार

राजस्व संगरिया का जवाब दावा प्रस्तुत हूआ जो शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 9,13 ता 15 को बार– बार जवाब दावा हेतु अवसर दिये जाने पर भी जवाब दावा प्रस्तुत नही होने पर वाद पत्र मे अनावश्यक विलम्ब होने के कारण न्यायहित मे प्रतिवादी स 9,13 ता 15 का जवाब बंद किया गया। साक्ष्य वादी में वादी संख्या 1/2 ने अपना शपथ पत्र अ.आ.18 नियम 4 सीपीसी पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि कि चक 3. एम.जे.डी के खाता स 17/42 ज.स. 2072–2075 मे 1.265है. व इसी चक के खाता स. 15/57 में 0.310है व चक न. 4 आरटीपी खाता स 107/86 ज.स. 2072–2075 मे 1.266है, व चक न. 3 आरटीपी द्वितीय खाता स. 82/97 ज. स. 2073–2076 मे 1.935है. में वादी को 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी स. 1 ता 3 को 1/3 हिस्सा बहि.ब. व प्रतिवादी स. 4 ता 8 को 1/3 हिस्सा बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खातो से रूपराम पुत्र रामकरण का नाम कलमजन किया जावे। इसी प्रकार तहसील हनुमानगढ के चक.न. 11 एम.डी खाता स. 70/60 ज.स. 2076–2079 मे 7.564है में प्रतिवादी स. 23 ता 26 को 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी स. 9 ता 16 को 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी स. 17 ता 22 को 1/6 हिस्सा ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। उक्त खातो से रूपराम, 'लिच्छीराम, मनीराम ,जगमाल का नाम कलमजन किया जावे। वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने मुताबिक जवाब दावा सहमती डिक्री किये जाने हेतु सहमती जताई।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 26,29 एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादीगण 1 ता 8 ,10,18,19,25,26 ने हाजिर आकर सहमति का जवाब दावा पेश किया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाबदावा के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाब दावा के आधार पर वाद वादीगण निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि :– कि चक 3. एम.जे.डी के खाता स 17/42 ज.स. 2072–2075 (वर्तमान खाता स 18/26) मे 1.265है. व इसी चक के खाता स. 15/57 (वर्तमान खाता स 15/14)में 0.310है व चक न. 4 आरटीपी खाता स 107/86 ज.स. 2072–2075 (वर्तमान खाता स 102/86)मे 1.266है, व चक न. 3 आरटीपी द्वितीय खाता स. 82/97 ज. स. 2073–2076 (वर्तमान खाता स 86/97) मे 1.935है. में वादीगण को 1/3 हिस्सा ब.हि.ब व प्रतिवादी स. 1 ता 3 को 1/3 हिस्सा बहि.ब. व प्रतिवादी स. 4 ता 8 को 1/3 हिस्सा बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खातो से रूपराम पुत्र रामकरण का नाम कलमजन किया जाता है। इसी प्रकार तहसील हनुमानगढ के चक.न. 11 एम.डी खाता स. 70/60 ज.स.

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

2076–2079(वर्तमान खाता स 68/60) मे 7.564है में प्रतिवादी स. 23 ता 26 को 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी स. 9 ता 16 को 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी स. 17 ता 22 को 1/6 हिस्सा ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त खातो से रूपराम, 'लिच्छीराम, मनीराम ,जगमाल का नाम कलमजन किया जाता है।

पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक.–26./07./2023.को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/7/23

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, सगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
(अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

पीठासीन अधिकारी:– रमेश देव आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:– 79 / 2021

1. मनीराम पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज(फोत)

1/1 बुधराम पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
1/2 कलवंत पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

–वादीगण

बनाम्

1. कृष्ण पुत्र लिच्छीराम जाति
2. रामकुमार पुत्र लिच्छीराम
3. बालकुमार पुत्र लिच्छीराम
4. रणवीर पुत्र जगमाल
5. बद्री प्रसाद पुत्र जगमाल
6. आत्माराम पुत्र जगमाल
7. गोमती पत्नी जगमाल
8. लाली देवी पुत्री जगमाल

जाति जाट निवासी रतनपुरा तह0 संगरिया जिला हनु0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

9. सवित्री पत्नी मेहरचन्द जाति जाट निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ
10. साहबराम पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ
11. भूरी पुत्री मेहरचन्द पत्नी लालचंद जाति जाट निवासी सोमासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
12. शारदा पुत्री मेहरचन्द पत्नी मदनलाल जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ
13. गुडडी पुत्री मेहरचन्द पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी रणजीतपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ
14. मन्जू पुत्री मेहरचन्द पत्नी विनोद कुमार जाति जाट निवासी नुईयांवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा
15. कमलेश पुत्री मेहरचन्द पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी नुईयावाली तहसील डबवाली जिला सिरसा
16. कैलाश पुत्री मेहरचन्द पत्नी कृष्ण चंद जाति जाट निवासी सोमासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
17. गुडडी पत्नी शीशपाल जाति जाट निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ
18. ईश्वर पुत्र शीशपाल जाति जाट निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ
19. सुभाष पुत्र शीशपाल जाति जाट निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ
20. सरोज पुत्री शीशपाल पत्नी पतराम जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
21. कृष्णा पुत्री शिशपाल पत्नी अमीलाल जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
22. समेस्ता पुत्री शिशपाल पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
23. मुखी पुत्री रूपराम पत्नी साहीराम जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

24. सन्तरो पुत्री रूपराम पत्नी साहबराम जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ

25. बलराम पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ

26. दुलीचन्द पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ

27. तहसीलदार राजस्व संगरिया

28. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ

29. कौशल्या पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

—प्रतिवादीगण

दिनांक :—26/07/2023

यह राजस्व मुकद्मा आज सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री राजेश बुडानिया वकील वादीगण मिन जामिन मुदई व श्री विवेक बुडानिया वकील प्रति स 1 ता 8 ,10,18,19,25,26,29 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि तहसील संगरिया के चक 3. एम.जे.डी के खाता स 17/42 ज.स. 2072–2075 (वर्तमान खाता स 18/26) मे 1.265है. व इसी चक के खाता स. 15/57 (वर्तमान खाता स 15/14)में 0.310है व चक न. 4 आरटीपी खाता स 107/86 ज.स. 2072–2075 (वर्तमान खाता स 102/86)मे 1.266है, व चक न. 3 आरटीपी द्वितीय खाता स. 82/97 ज. स. 2073–2076 (वर्तमान खाता स 86/97) मे 1.935है. में वादीगण को 1/3 हिस्सा ब.हि.ब व प्रतिवादी स. 1 ता 3 को 1/3 हिस्सा बहि.ब. व प्रतिवादी स. 4 ता 8 को 1/3 हिस्सा बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खातो से रूपराम पुत्र रामकरण का नाम कलमजन किया जाता है। इसी प्रकार तहसील हनुमानगढ के चक.न. 11 एम.डी खाता स. 70/60 ज.स. 2076–2079(वर्तमान खाता स 68/60) मे 7.564है में प्रतिवादी स. 23 ता 26 को 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी स. 9 ता 16 को 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी स. 17 ता 22 को 1/6 हिस्सा ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त खातो से रूपराम, 'लिच्छीराम, मनीराम ,जगमाल का नाम कलमजन किया जाता है।

नोटः— बैक ऋण यथावत रखा जावे व खाता विवादीत हो तो शेष खातो मे अमल दरामद कर दिया जावे।

निज....X.... नल....X... मुब्लिक....X.... निल....X.... बाबत्....X.... निल....X....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....X.... अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक—....26..../....07..../2023.को जारी किया गया।

26/7/23

(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official